कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय कमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर
नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 दूरभाष 0771 4099794

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा।।

<u>निविदा सहपत्रों की सूची :–</u>

क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1 पृष्ट
2.	सामान्य जानकारी	7 पृष्ट
3.	आवश्यक शर्ते	4 पृष्ट
4.	तकनीकी अर्हताएं	2 पृष्ट
5.	अनुबंध शर्तो का प्रारूप	4 पृष्ट
6.	भाव पत्र	2 पृष्ट
	कुल	20 पृष्ट

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय क्रमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर
नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 दूरभाष 0771 4099794

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित थोक में दूध,दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय करना चाहता है। प्रस्ताव दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त किये जावेंगे । विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय क्रमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर
नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 दूरभाष 0771 4099794

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी ।।

1.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	24 / 06 / 2019 कार्यालयीन समय तक
2.	निविदा जमा होने का स्थान	कार्यालय– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001, दूरभाष क्रमांक 0771 4099794

<u>विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री की जानकारी आगामी पृष्टों में संलग्न है ।</u>

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। शीतलीकृत दुग्ध विक्रय ।।

1. निविदा क्रमांक :– 845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
2. निविदा प्रकाशन तिथी :– 07/06/2020
3. समाचार पत्र :– दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
4. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी :– दिनांक 24/06/2020 ।
5. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम :– स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाएं शामिल की जावेंगी।
6. न्यूनतम मात्रा :– एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
7. दुग्ध दर :– प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
8. गुणवत्ता (औसतन) :– फैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
9. उपलब्धता :– दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :–

   क– दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
   ख– दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
   ग– दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
   घ– दुग्ध शीत केन्द्र मुजगहन, धमतरी।
   ञ– दुग्ध शीत केन्द्र बसना, महासमुंद।
   च– दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।
   छ– दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर।
   ज– दुग्ध शीत केन्द्र भाठागॉव, धमतरी।

10. भुगतान विधि :– सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
1. परिवहन व्यवस्था :– क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।
11. कर/अनुज्ञप्ति :– क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
12. वैधता :– दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
13. अन्य :– दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। संसाधित दुग्ध विक्रय ।।

1. निविदा क्रमांक :— 845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
2. निविदा प्रकाशन तिथी :— 07/06/2020
3. समाचार पत्र :— दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
4. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी :— दिनांक 24/06/2020 तक।
5. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम :— स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाएं शामिल की जावेंगी।
6. न्यूनतम मात्रा :— एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
7. दुग्ध दर :— प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
8. गुणवत्ता (औसतन) :— फैट 4.0 प्रतिशत, एस.एन.एफ 8.5 प्रतिशत।
9. उपलब्धता :— दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की निम्नलिखित ईकाईओं में उपलब्ध है :—

   क— दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग।
   ख— दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर।
   ग— दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़।
   घ— दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर।

10. भुगतान विधि :— सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।

2. परिवहन व्यवस्था :— क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।

11. कर/अनुज्ञप्ति :— क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
12. वैधता :— दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
13. अन्य :— दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। संसाधित स्किम्ड दुग्ध विक्रय ।।

1. निविदा क्रमांक	:–	845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
2. निविदा प्रकाशन तिथी	:–	07/06/2020
3. समाचार पत्र	:–	दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
4. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी	:–	दिनांक 24/06/2020 तक।
5. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम	:–	स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाए शामिल की जावेंगी।
6. न्यूनतम मात्रा	:–	एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर।
7. दुग्ध दर	:–	प्रति किलो. ठोस के आधार पर दी जानी है।
8. गुणवत्ता (औसतन)	:–	फैट 0.1 प्रतिशत अधिकतम, एस.एन.एफ 8.7 प्रतिशत न्यूनतम।
9. उपलब्धता	:–	दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग स्थित संयंत्र में उपलब्ध है।
10. भुगतान विधि	:–	सम्पूर्ण दूध की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।
3. परिवहन व्यवस्था	:–	क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।
11. कर/अनुज्ञप्ति	:–	क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
12. वैधता	:–	दरें न्यूनतम 3 माह के लिए वैध होना आवश्यक होगा।
13. अन्य	:–	दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। स्किम्ड मिल्क पावडर विक्रय हेतु निविदा।।

1. निविदा क्रमांक :— 845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
2. निविदा प्रकाशन तिथी :— 07/06/2020
3. समाचार पत्र :— दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
4. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी :— दिनांक 24/06/2020 तक।
5. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम :— स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाए शामिल की जावेंगी।
6. उपलब्ध मात्रा :— 100 मेट्रिक टन।
7. पैक साईज :— 25 किलो. बैग।
8. न्यूनतम मात्रा :— 1 मेट्रिक टन।
9. दर :— प्रति किलो. आधार पर दी जानी है, जी.एस.टी. 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
10. गुणवत्ता (औसतन) :—

S.No	Trait	Value
01.	Colour	Creamy White
02.	Flavour	Pleasant
03.	Moisture	Less than 4 %
04.	Protein	More than 34 %
05.	Fat	Less than 1 %
06.	Insol index	0.2 ml
07.	T Acidity %	Less than/Equal to 1.44 %
08.	Oldest Stock	02.05.2020

11. उपलब्धता :— स्किम्ड मिल्क पावडर दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग स्थित संयंत्र में उपलब्ध है।
12. भुगतान विधि :— प्रदायगी के पूर्व अग्रिम।
13. परिवहन व्यवस्था :— क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।
14. कर/अनुज्ञप्ति :— क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :— दरें न्यूनतम 30.06.2020 तक वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :— स्किम्ड मिल्क पावडर की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण/उत्पाद के परीक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। स्किम्ड मिल्क पावडर विक्रय हेतु निविदा।।

4. निविदा क्रमांक :— 845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
5. निविदा प्रकाशन तिथी :— 07/06/2020
6. समाचार पत्र :— दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
7. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी :— दिनांक 24/06/2020 तक।
8. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम :— स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाए शामिल की जावेंगी।
9. उपलब्ध मात्रा :— मॉग अनुसार/10 मेट्रिक टन।
10. पैक साईज :— 1 किलो. X 25 पैकेट एक बैग में।
11. न्यूनतम मात्रा :— 1 मेट्रिक टन।
12. दर :— प्रति किलो. आधार पर दी जानी है, जी.एस.टी. 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
13. गुणवत्ता (औसतन) :—

S.No	Trait	Value
01.	Colour	Creamy White
02.	Flavour	Pleasant
03.	Moisture	Less than 4 %
04.	Protein	More than 34 %
05.	Fat	Less than 1 %
06.	Insol index	0.2 ml
07.	T Acidity %	Less than/Equal to 1.44 %
08.	Oldest Stock	02.05.2020

14. उपलब्धता :— स्किम्ड मिल्क पावडर दूध छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग स्थित संयंत्र में उपलब्ध है।
15. भुगतान विधि :— प्रदायगी के पूर्व अग्रिम।
16. परिवहन व्यवस्था :— क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।
17. कर/अनुज्ञप्ति :— क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
18. वैधता :— दरें न्यूनतम 30.06.2020 तक वैध होना आवश्यक होगा।
19. अन्य :— स्किम्ड मिल्क पावडर की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण/उत्पाद के परीक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु सामान्य जानकारी।।

।। श्वेत मक्खन विक्रय हेतु निविदा।।

1. निविदा क्रमांक :— 845/छ.ग.दु.म.स/विपण/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020
2. निविदा प्रकाशन तिथी :— 07/06/2020
3. समाचार पत्र :— दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका छत्तीसगढ़ संस्करण।
4. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथी :— दिनांक 24/06/2020 तक।
5. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम :— स्पीड/पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001, में दिनांक 24.06.2020 तक प्राप्त निविदाए शामिल की जावेंगी।
6. उपलब्ध मात्रा :— 100 मेट्रिक टन।
7. पैक साईज :— 25 किलो. कारोगेडेट बाक्स।
8. न्यूनतम मात्रा :— 9 मेट्रिक टन।
9. दर :— प्रति किलो. आधार पर दी जानी है, जी.एस.टी. 12 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
10. गुणवत्ता (औसतन) :—

S.No	Trait	Value
01.	Colour	Yellow
02.	Flavour	Pleasant
03.	Moisture	Less than 15 %
04.	Fat	84 %
05.	Curd %	Less than/Equal to 1.4 %
06.	Oldest Stock	21.04.2020

11. उपलब्धता :— श्वेत मक्खन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग स्थित संयंत्र में उपलब्ध है।
12. भुगतान विधि :— प्रदायगी के पूर्व अग्रिम।
13. परिवहन व्यवस्था :— क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर।
14. कर/अनुज्ञप्ति :— क्रेता को अपने व्यय पर वहन/प्राप्त करने होंगे।
15. वैधता :— दरें न्यूनतम 30.06.2020 तक वैध होना आवश्यक होगा।
16. अन्य :— श्वेत मक्खन की मात्रा तथा गुणवत्ता जो कि प्रदायगी के समय दर्ज की गयी है, अंतिम होगी। क्रेता अपना प्रतिनिधि प्रक्रिया के पर्यवेक्षण/उत्पाद के परीक्षण के लिए नियुक्त कर सकते है।

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु आवश्यक शर्तें।।

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा अतिशेष दूध के बल्क में विक्रय हेतु खुली निविदा क्रमांक 845 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक 06.06.2020 द्वारा निम्न सामग्री के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई है :–
   - औसतन 4 प्रतिशत फैट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ. के शीतलीकृत / संसाधित दूध को स्वयं की व्यवस्था से एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर मात्रा क्रय किये जाने के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। दूध की प्रदायगी संबंधित संयंत्र / शीत केन्द्र में अतिशेष दूध उपलब्ध होने पर ही की जावेगी।
   - न्यूनतम 1 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पावडर / श्वेत मक्खन स्वयं की परिवहन व्यवस्था से क्रय किये जाने हेतु ।
2. क्रेता यदि शीतलीकृत एवं संसाधित दोनों प्रकार का दूध क्रय करना चाहता है तो उसे पृथक–पृथक दरें प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में दूध किस स्थान से लेना चाहते है, का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। एक से अधिक स्थानों से दूध क्रय हेतु पृथक–पृथक निविदाएं प्रस्तुत करनी होगी।
3. क्रेता के पास जी.एस.टी. पंजीयन एवं खाद्य लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. तरल दूध हेतु क्रेता द्वारा प्रस्तुत दर दिनांक 24.06.2020 से 31.12.2020 तक के लिए प्रभावी होना आवश्यक होगा, जबकि स्किम्ड मिल्क पावडर / श्वेत मक्खन हेतु दी गई दरें दिनांक 30.06.2020 तक के लिये प्रभावी होना आवश्यक होगा ।
5. स्वीकृत दरों पर दिनांक 24.06.2020 से 31.12.2020 तक दूध की आपूर्ति की जावेगी । उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपसी सहमति से आगामी अवधि के लिये प्रदायगी एक बार में अधिकतम छः माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
6. निविदाएं स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा कार्यालय– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित ,कार्यालय क्रमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 को दिनांक 24.06.2020 कार्यालयीन समय तक पहुँचानी होंगी । विलंब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
7. स्किम्ड मिल्क पावडर एवं श्वेत मक्खन के सफल निविदाकार को दिनांक 30.06.2020 तक आबंटित मात्रा का संपूर्ण भुगतान कर एक सप्ताह में सामग्री ले जाने की व्यवस्था करनी होगी ।
8. तरल दूध के सफल निविदाकार को आबंटित सामग्री के कुल मूल्य की 2 प्रतिशत राशि आदेश प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी तथा एक सप्ताह के भीतर महासंघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रू. 500 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करते हुये दूध की लिफ्टिंग प्रारंभ करनी होगी । इस प्रकार निर्धारित समयावधि में वांछित कार्यवाही न होने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी । जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने पर समस्त लेखो का मिलान कर एक माह के भीतर वापस की जावेगी।

9. निविदाकार को दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। दरें अंको में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अंतर पाया जााता है तो शब्दो में लिखी दर को मान्य किया जावेगा।
10. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर निविदाकारों से निगोसिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
11. क्रेता द्वारा अपनी स्वयं की उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से दूध / स्किम्ड मिल्क पावडर / श्वेत मक्खन का परिवहन दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से करना होगा। इस हेतु महासंघ द्वारा कोई परिवहन व्यय/राशि देय नहीं होगी। सामग्री का वास्तविक वजन तौल कॉटा या अन्य उपयुक्त साधन से क्रेता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष रिकार्ड किया जावेगा। इस पर कोई भी आपत्ति होने पर क्रेता को दूध संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व इसे व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार सामग्री की गुणवत्ता क्रेता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में देखी जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि के प्रदायगी के समय उपस्थित न होने पर महासंघ द्वारा दर्ज मात्रा/गुणवत्ता यथा फैट, एस.एन.एफ. एसीडीटी. एम.बी.आर एवं अन्य किसी मानक पर असहमत होने पर क्रेता को दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में ही सामग्री बाहर निकलने से पूर्व आपत्ति दर्ज करानी होगी। सामग्री की सुपुर्दगी लेने एवं संयंत्र/शीत केन्द्र छोडने के बाद इसकी मात्रा और/या गुणवत्ता संबंधी कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। मात्रा के निर्धारण के लिये तौल कांटा/अन्य व्यय क्रेता को वहन करने होगे।
12. दूध की राशि/दर इसकी गुणवत्ता के आधार पर प्रति किलोग्राम ठोस पर तय की जावेगी। इसी प्रकार स्किम्ड मिल्क पावडर/श्वेत मक्खन की राशि स्वीकृत दर तथा जी.एस.टी. जोड़कर प्राप्त की जावेगी । स्किम्ड मिल्क पावडर तथा श्वेत मक्खन का लोडिंग चार्ज क्रेता को पृथक से वहन करना होगा ।
13. कंडिका क्रमांक 12 पर दर्ज दर महासंघ को प्राप्त सामग्री का मूल्य है। क्रेता के कर एवं अन्य दायित्व की जवाबदेही उसकी स्वयं की है, एवं प्राप्त मूल्य में यह शामिल नहीं है। इस व्यवसाय हेतु वांछित लाइसेंस एवं अन्य वैद्यानिक अनुमोदन क्रेता को अपने व्यय से प्राप्त करने होगे। महासंघ अनुबंध अवधि या इसके बाद भी किसी भी प्रकार की राशि/अर्थदण्ड/शास्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
14. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से निकलने के बाद किसी भी शासकीय संस्था या अन्य द्वारा सेम्पलिंग होने की स्थिति में जवाबदेही सिर्फ क्रेता की होगी। क्रेता महासंघ को ऐसी समस्त कार्यवाहियों से मुक्त रखेगा।
15. सामग्री परिवहन की वाहनों से यदि संयंत्र/शीत केन्द्र में कोई नुकसान होता है, या किसी को इससे चोट लगती है, तो इसकी शत् प्रतिशत भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि को या उनकी वाहन को संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर में यदि कोई क्षति होती है, तो इसकी समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।
16. सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रेता यदि दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र की किसी सामग्री यथा कैन, क्रेट एवं टूल्स आदि इस्तेमाल करता है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। इस्तेमाल सामग्री कम प्राप्त होने या टूटने–फूटने पर इसकी सम्पूर्ण भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी।
17. महासंघ क्रेता की मांग अनुसार सामग्री प्रदाय करने के पूरे प्रयास करेगा, परंतु अपरिहार्य स्थिति में यदि मांग अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्रेता इस पर कोई क्षतिपूर्ति दावा नहीं कर सकेगा।

18. सामग्री की प्रदायगी दिन पाली में ही कार्यलयीन समय में की जावेगी। क्रेता को इस हेतु महासंघ के प्रतिनिधियों से सतत् संपर्क में रहते हुये संयंत्र/शीत केन्द्र की सुविधा अनुसार टेंकर/वाहन संचालन की व्यवस्था करनी होगी।
19. सामग्री परिवहन में लगी वाहनों तथा स्टाफ के समस्त कागजात वैधानिक रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी। इन कारणों से हुई किसी भी क्षति के लिये महासंघ जवाबदेय नहीं होगा।
20. क्रेता अपने स्टाफ के उचित आचरण के लिये उत्तरदायी होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में महासंघ स्वविवेक से अर्थदण्ड/अन्य कार्यवाही कर सकेगा, जिसे मानना क्रेता के लिए बंधनकारी होगा। महासंघ द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर क्रेता को तत्काल अपना स्टाफ बदलना आवश्यक होगा।
21. क्रेता को अपने मांग अनुसार दूध की राशि अनुमानित दर पर गणना करते हुये दूध प्रदायगी से पूर्व जमा करनी होगी। व्यवहारिक रूप से प्रदायगी के समय मात्रा एवं गुणवत्ता में अंतर पर इसकी राशि अगली प्रदायगी में समायोजित की जावेगी। स्किम्ड मिल्क पावडर एवं श्वेत मक्खन की वास्तविक संपूर्ण राशि प्रदायगी के पूर्व जमा करनी होगी । क्रेता को राशि इस प्रकार जमा करनी होगी कि सामग्री प्रदायगी से पूर्व राशि प्राप्त होना प्रमाणित हो सके। चेक द्वारा भुगतान किये जाने पर सामग्री की प्रदायगी चेक के रियलाइजेशन के बाद होगी।
22. क्रेता महासंघ से समस्त पत्र व्यवहार स्वयं करेगा एवं महासंघ द्वारा बुलाये जाने पर दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा। आवश्यक पत्राचार के लिये अनुबंध में दर्ज क्रेता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया पत्र सूचना प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में माना जावेगा।
23. संपूर्ण व्यवसाय अवधि एवं इसके बाद भी अनुबंध की गोपनीयता रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी, जिसका उल्लघन होने पर महासंघ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।
24. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की धरोहर राशि राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जा सकेगा।
25. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है, तो धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी।
26. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा।
27. तरल दूध क्रय के लिये निविदा प्रपत्र के साथ महासंघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
28. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा, एवं घरोहर राशि भी राजसात की जा सकेगी।
29. दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होगे, इस बाबत् निविदाकार को इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है।
30. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

<u>घोषणा</u>

मेरे द्वारा दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु आवश्यक शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 30 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी धरोहर राजसात करने और / या भविष्य में महासंघ की निविदाओं में भागीदारी के लिये हमें काली सूची में डालने के लिये प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

(आवेदक)

नाम :

पता :

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रति,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

बी.एम.वाय. चरोदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व. प्रमाणित)

महोदय,

बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा दिनांक 06.06.2020 को दैनिक नवभारत, भास्कर एवं पत्रिका के संपूर्ण छत्तीसगढ संस्करण में प्रकाशित निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा क्रमांक / 845 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक 06.06.2020 के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व. प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था / फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मंडल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नंबर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी नंबर की छायाप्रति संलग्न करें।
6.	फूड लायसेंस नंबर होना अनिवार्य है।		फूड लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।
7.	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चेक लगावें।

8.	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9.	निविदाकार दुग्ध महासंघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। इस बाबत् निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।		इस हेतु रूपये 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
10.	निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।		इस हेतु रूपये 100 / – के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट :–

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अर्हताओं को पूर्ण कर निविदा की शर्तों एवं अनुबंध (तरल दूध क्रय की स्थिति में) प्रारूप पर सहमति हस्ताक्षर कर भाव पत्र के साथ सम्मिलित की जानी हैं ।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

दूरभाष नंबर ....

मोबाईल नंबर ....

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय क्रमांक 1, प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर
नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 दूरभाष 0771 4099794

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

बल्क दुग्ध विक्रय हेतु अनुबंध का प्रारूप

यह द्विपक्षीय अनुबंध आज दिनांक ....को निम्न पक्षों के मध्य निष्पादित किया जाता है।

1. प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा आई0ए0एस0 या प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नामांकित प्रतिनिधि हैं। द्वितीय पक्ष **''देवभोग''** दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के निर्माता एवं विपणनकर्ता है। द्वितीय पक्ष को आगे विक्रेता के नाम से जाना जायेगा ।
2. द्वितीय पक्ष मेसर्स .... संचालक ....एक प्रोप्राइटरशिप /पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दूसरे भागीदार ....हैं । यह संस्थान ....से पंजीयन क्रमांक ....द्वारा पंजीकृत है तथा इसका जी.एस.टी. नंबर...है। संस्थान का फूड लाइसेंस नंबर ....,, जो .... के नाम पर .... निर्माता के रूप में पंजीकृत है। प्रथम पक्ष की ओर से .... ही समस्त निर्णय लेने हेतु अकेले अधिकृत रहेंगे । प्रथम पक्ष को आगे क्रेता के नाम से जाना जायेगा ।

यह अनुबंध विक्रेता द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बल्क में दुग्ध विक्रय हेतु प्रकाशित सूचना के परिप्रेक्ष्य में क्रेता द्वारा दी गई निविदा एवं निगोसियेशन द्वारा निर्धारित दरों पर दुग्ध विक्रय हेतु निष्पादित किया जा रहा है । दूध की प्रदायगी शीतलीकृत दूध हेतु रू............................अक्षरी रू............... ....प्रति किलो ठोस तथा संसाधित दूध हेतु रू ....अक्षरी रू............................... प्रति किलो ठोस होगी । दूध की प्रदायगी.........................दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से होगी ।

इस अनुबंध में हस्ताक्षर कर रहें अधिकारियों को संबंधित संस्थाओं के संचालक मंडल/उच्चाधिकारियों से इस अनुबंध में हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त होना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। अनुबंध निष्पादन के बाद यह समाप्त किये जाने तक पूरी तरह लागू रहेगा तथा संबंधित संस्थाओं में हस्ताक्षर कर रहें व्यक्तियों के पद/समान पद पर बाद में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह बंधनकारी होगा।

अनुबंध निम्न कडिंकाओं के साथ निष्पादित किया जाताहै :—

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा अतिशेष दूध के बल्क में विक्रय हेतु खुली निविदा क्रमांक 845/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2019 उरला, दिनांक 06.06.2020 द्वारा औसतन 4 प्रतिशत फैट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ. के शीतलीकृत/संसाधित दूध और / या 0.1 प्रतिशत अधिकतम फैट, एस.एन.एफ 8.7 प्रतिशत न्यूनतम के स्किम्ड मिल्क को स्वयं की व्यवस्था से एक बार में न्यूनतम 1000 लीटर मात्रा क्रय किये जाने के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। दूध की प्रदायगी संबंधित संयंत्र/शीत केन्द्र में अतिशेष दूध उपलब्ध होने पर ही की जावेगी।

2. यह अनुबंध बल्क दुग्ध विक्रय हेतु निविदा हेतु प्रकाशित निविदा क्रमांक/**845**/छ.ग.दु.म.सं./विपणन/2020 उरला, दिनांक 06.06.2020 के संदर्भ में निष्पादित किया जा रहा है । अनुबंध अवधि में संपूर्ण कार्यवाही मूल निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों अनुसार ही संपादित होगी ।
3. स्वीकृत दरों पर दिनांक 24.06.2020 से 31.12.2020 तक दूध की आपूर्ति की जावेगी । उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् आपसी सहमति से आगामी अवधि के लिये प्रदायगी एक बार में अधिकतम छः माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
4. क्रेता द्वारा निम्नानुसार आबंटित सामग्री के कुल मूल्य की 2 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा की गई है :—

   धनादेश क्रमांक ....द्वारा जमा राशि रू ....

   धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

   धरोहर राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने पर समस्त लेखो का मिलान कर एक माह के भीतर वापस की जावेगी।
5. क्रेता द्वारा अपनी स्वयं की उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से दूध का परिवहन दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से करना होगा। इस हेतु महासंघ द्वारा कोई परिवहन व्यय/राशि देय नहीं होगी। दूध का वास्तविक वजन तौल कॉंटा या अन्य उपयुक्त साधन से क्रेता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष रिकार्ड किया जावेगा। इस पर कोई भी आपत्ति होने पर क्रेता को दूध संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व इसे व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार दूध की गुणवत्ता क्रेता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में देखी जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि के प्रदायगी के समय उपस्थित न होने पर महासंघ द्वारा दर्ज मात्रा/गुणवत्ता यथा फैट, एस.एन.एफ. एसीडीटी. एम.बी.आर एवं अन्य किसी मानक पर असहमत होने पर क्रेता को दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में ही दूध संयंत्र से बाहर निकलने से पूर्व आपत्ति दर्ज करानी होगी। दूध की सुपुर्दगी लेने एवं संयंत्र छोडने के बाद दूध की मात्रा और/या गुणवत्ता संबंधी कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। मात्रा के निर्धारण के लिये तौल काटा/अन्य व्यय क्रेता को वहन करने होगे।
6. दूध की राशि/दर इसकी गुणवत्ता के आधार पर प्रति किलोग्राम ठोस पर तय की जावेगी।
7. कंडिका क्रमांक 6 पर दर्ज दर महासंघ को प्राप्त दूध का मूल्य है। क्रेता के कर एवं अन्य दायित्व की जवाबदेही उसकी स्वयं की है, एवं प्राप्त मूल्य में यह शामिल नहीं है। इस व्यवसाय हेतु वांछित लाइसेंस एवं अन्य वैद्यानिक अनुमोदन क्रेता को अपने व्यय से प्राप्त करने होगे। महासंघ अनुबंध अवधि या इसके बाद भी किसी भी प्रकार की राशि/अर्थदण्ड/शास्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
8. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से निकलने के बाद किसी भी शासकीय संस्था या अन्य द्वारा सेम्पलिंग होने की स्थिति में जवाबदेही सिर्फ क्रेता की होगी। क्रेता महासंघ को ऐसी समस्त कार्यवाहियों से मुक्त रखेगा।
9. दुग्ध परिवहन की वाहनों से यदि संयंत्र/शीत केन्द्र में कोई नुकसान होता है, या किसी को इससे चोट लगती है, तो इसकी शत् प्रतिशत भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी। क्रेता/प्रतिनिधि को या उनकी वाहन को संयंत्र/शीत केन्द्र परिसर में यदि कोई क्षति होती है, तो इसकी समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।
10. सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रेता यदि दुग्ध संयंत्र संयंत्र/शीत केन्द्र की किसी सामग्री यथा कैन, क्रेट एवं टूल्स आदि इस्तेमाल करता है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। इस्तेमाल सामग्री कम प्राप्त होने या टूटने—फूटने पर इसकी सम्पूर्ण भरपाई क्रेता द्वारा की जावेगी।

11. महासंघ क्रेता की मांग अनुसार दूध प्रदाय करने के पूरे प्रयास करेगा, परंतु अपरिहार्य स्थिति में यदि मांग अनुसार दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्रेता इस पर कोई क्षतिपूर्ति दावा नहीं कर सकेगा।
12. दूध की प्रदायगी दिन पाली में ही कार्यलयीन समय में की जावेगी। क्रेता को इस हेतु महासंघ के प्रतिनिधियों से सतत् संपर्क में रहते हुये संयंत्र/शीत केन्द्र की सुविधा अनुसार टेंकर/वाहन संचालन की व्यवस्था करनी होगी।
13. दुग्ध परिवहन में लगी वाहनों तथा स्टाफ के समस्त कागजात वैधानिक रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी। इन कारणों से हुई किसी भी क्षति के लिये महासंघ जवाबदेय नहीं होगा।
14. क्रेता अपने स्टाफ के उचित आचरण के लिये उत्तरदायी होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में महासंघ स्वविवेक से अर्थदण्ड/अन्य कार्यवाही कर सकेगा, जिसे मानना क्रेता के लिए बंधनकारी होगा। महासंघ द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर क्रेता को तत्काल अपना स्टाफ बदलना आवश्यक होगा।
15. क्रेता को अपने मांग अनुसार दूध की राशि अनुमानित दर पर गणना करते हुये दूध प्रदायगी से पूर्व जमा करनी होगी। व्यवहारिक रूप से प्रदायगी के समय मात्रा एवं गुणवत्ता में अंतर पर इसकी राशि अगली प्रदायगी में समायोजित की जावेगी।
16. क्रेता को दूध की राशि इस प्रकार जमा करनी होगी कि दूध प्रदायगी से पूर्व राशि प्राप्त होना प्रमाणित हो सके। चेक द्वारा भुगतान किये जाने पर दूध की प्रदायगी चेक के रिलाइजेशन के बाद होगी।
17. क्रेता महासंघ से समस्त पत्र व्यवहार स्वयं करेगा एवं महासंघ द्वारा बुलाये जाने पर दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा।आवश्यक पत्राचार के लिये अनुबंध में दर्ज क्रेता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया पत्र सूचना प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में माना जावेगा।
18. संपूर्ण व्यवसाय अवधि एवं इसके बाद भी अनुबंध की गोपनीयता रखना क्रेता की जिम्मेदारी होगी, जिसका उल्लंघन होने पर महासंघ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।
19. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा लिया जा सकेगा।
20. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी।
21. इस अनुबंध को उभय पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकेगें, जबकि महासंघ निविदा नियम/शर्तो या अनुबंध की कंडिकाओं का पालन न होने की स्थिति में अथवा अपने व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव पडने की स्थिति में इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकेगा।
22. क्रेता ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे महासंघ का व्यवसाय प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो या इसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पडे। ऐसी स्थिति पाये जाने पर महासंघ धरोहर राशि राजसात करते हुये तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर सकेगा।
23. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से अनुबंध अवधि में निगोसिएशन कर दरों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।
24. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा, एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

25. अनुबंध की कंडिकाओ में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार महासंघ को होगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, छत्तीसगढत्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को आबीट्रेटर नियुक्त किया जावेगा एवं जिसकी संपूर्ण कार्यवाही मध्यस्थता, सुलह एवं अनुकल्पी विवाद विधि–1996 (ARBITRATION AND CONCILIATION ACT-1996) के अनुसार होगी। आदेश के पश्चात पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षकारों का बंधनकारी होगा। न्यायिक प्रकरण की स्थिति में न्यायक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय होगा रायपुर होगा एवं माननीय न्यायालय का आदेश दोनो पक्षकारो पर बंधनकारी होगा एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकेगी।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर ''नो ड्यूज'' प्रमाणपत्रा प्रस्तुत करने के पश्चात् सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कडिका का द्वितीय पक्ष पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की शर्ते भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
प्रबंध संचालक	....
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी	....
दुग्ध महासंघ मर्यादित	....

हस्ताक्षर साक्ष्य : 1

नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....

हस्ताक्षर साक्ष्य : 2

नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....

।। दूध, दूध पावडर एवं श्वेत मक्खन विक्रय निविदा हेतु भाव–पत्र।।

क्रमांक / **845** / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2020 उरला, दिनांक : 06.06.2020

1. **प्रस्तावित दर :–**

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
1	शीतलीकृत दूध की दर **प्रति किलो. दुग्ध ठोस**	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)
2	संसाधित दुग्ध की दर **प्रति किलो. दुग्ध ठोस**	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)
3	संसाधित स्किम्ड दुग्ध की दर **प्रति किलो. दुग्ध ठोस**	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)
4	स्किम्ड मिल्क पावडर **प्रति किलो.** 25 किलो. बैग में खुला	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)
5	स्किम्ड मिल्क पावडर **प्रति किलो.** 1 किलो. पैक में (1 बैंग में 1 किलो. के 25 पैकेट रहेंगे)	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)
6	श्वेत मक्खन **प्रति किलो.** (25 किलो. बाक्स पैकिंग में)	अंको में (...) शब्दों में (.. ....)

दरें **एक्स दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र** है ।
प्रस्तुत दरों में **जी.एस.टी. शामिल नहीं है** एवं यह पृथक से देय है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

2. वांछित संयंत्र/शीत केन्द्र :–

क्र.	विवरण	उपलब्धता	वांछित संयंत्र/शीत केन्द्र
1.	शीतलीकृत दूध	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़ दुग्ध शीत केन्द्र मुजगहन, धमतरी दुग्ध शीत केन्द्र बसना, महासमुंद दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर दुग्ध शीत केन्द्र भाठागॉव, धमतरी	
2.	संसाधित दूध	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़ दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर	
3.	स्किम्ड दूध	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग	
4.	स्किम्ड मिल्क पावडर (बल्क पैक)	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग	
5.	स्किम्ड मिल्क पावडर (1 किलो. पैक)	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग दुग्ध संयंत्र कोनी, बिलासपुर दुग्ध संयंत्र कोतरा रोड़, रायगढ़ दुग्ध संयंत्र बाबू सेमरा, जगदलपुर	
6.	श्वेत मक्खन	दुग्ध संयंत्र उरला, दुर्ग	

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....